किस्म मुकदमा.................................... प्रकरण संख्या......................./.........

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 14.02.19 | उक्त प्रकरण से संबंधित राजस्व वाद सं. 108/2014 को पक्षकारान राजीनामा हो जाने से आगे चलाना नहीं चाहने के फलस्वरूप उक्त वाद जरिये विड्रोवल खारिज किया गया है। उसी वाद के संबंध में उक्त अपील को भी अपीलांट व रेस्पोंडेंटस आगे नहीं चलाना चाहने के फलस्वरूप एक दरख्वास्त प्रस्तुत की गई। अपीलांटस के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोंडेंटस नं. 1 से 3 के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटस व रेस्पोंडेंटस के मध्य आपस में राजीनामा होने से किसी प्रकार का विवाद नहीं रह गया है एवं अपीलांटस उक्त अपील चलाना नहीं चाहते है। अतः उक्त अपील जरिये विड्रोवल खारिज की जाती है।<br>निर्णय आज दिनांक 14.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल कुमार फैसल होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा<br>जिला-जालोर (राज.) |

Scanned by CamScanner